




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

आदेश पत्रक

भारत सरकार
पुंक्षेत्र: अमरदोप थाना प्रमारी खैरपाव
थाना राँची ।

बनाम: गोपाल सिंह मानकी वगैरह

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
<p>25-05-18</p>	<p>अभिलेख सं०-एम..... 55...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रमारी खैरपाव के अप्राथमिकी सं०-10/18 दिनांक-7-5-18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि विधान सभा उप चुनाव के दौरान अशान्ति फैलाने की संभावना जिससे संग्राम है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 25-5-18 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <p>  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p>  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पत्र क्रमांक 02, 03, 04, 05, 06, 07 उपस्थित अन्य सभी अनुपस्थित। दिनांक 28-05-18 की रखा।</p> <p>  25/5/18 </p>	

